

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सचिवदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी(सूची संलग्न)।

पटना, दिनांक : 05-02-18

विषय :स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-0003-राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड- 20-2210061010003 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹1,50,24,496/- (एक करोड़ पच्चास लाख चौबीस हजार चार सौ छियान्चे रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-12(7)ब दिनांक-15.05.17, 32(7)ब दिनांक-12.07.17, 49(7)ब दिनांक-24.08.17, 80(7)ब दिनांक-25.09.17 एवं 85(7)ब दिनांक-13.10.17 एवं 122(7)ब दिनांक-28.12.17 के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹1,50,24,496/- (एक करोड़ पच्चास लाख चौबीस हजार चार सौ छियान्चे रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य- 101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-0003-राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड- 20-2210061010003 के अन्तर्गत आय-व्ययक आयोजना भिन्न में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबन्धित राशि से किया जायेगा।

3. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।


4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे। तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

5. सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल कार्यरत पदाधिकारी / कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे।

6. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।


1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।



सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं।

8. आवंटित राशि से किए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात् ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,



05.2/18
(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 136(7)a

पटना, दिनांक : 05 - 02 - 18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना / वित्त विभाग बजट शाखा / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला मलेरिया पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/राज्य डेमोग्राफर/ प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।


05.2/18
सरकार के विशेष सचिव

विवरण-1

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपन्न कोड- 20-2210061010003 अर्न्तगत वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान भत्ता	परिवहन भत्ता	शिक्षा भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दवा भंडार	कुल	अभ्युक्ति
		(01-01)	(01-03)	(01-04)	(01-05)	(01-06)	(01-07)		(11-01)	(13-01)	(21-02)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अपर मु० चि० पदा०, पटना	500000	650000	50000	5000	7500	7500	1220000	0	10000	10000	1240000	12/5.1.18
2	अपर मु० चि० पदा०, कटिहार	420000	546000	42000	0	6300	6300	1020600	0	10000	0	1030600	567/16.12.17
3	अपर मु० चि० पदा०, भोजपुर	920000	1186800	92000	0	13800	13800	2226400	0	0	0	2226400	568/28.12.17
4	अपर मु० चि० पदा०, पूर्णिया	1500000	2010000	150000	0	22500	22500	3705000	10000	10000	0	3725000	701/26.12.17
5	अपर मु० चि० पदा०, गोपालगंज	2000000	2360000	200000	0	30000	25496	4615496	0	0	0	4615496	385/7.9.17
6	अपर मु० चि० पदा०, मोतिहारी	300000	390000	30000	0	4500	4500	729000	0	0	0	729000	70/5.1.18
7	अपर मु० चि० पदा०, रोहतास	600000	780000	60000	0	9000	9000	1458000	0	0	0	1458000	3/6.1.18
	कुल	6240000	7922800	624000	5000	93600	89096	14974496	10000	30000	10000	15024496	

(एक करोड़ पच्चास लाख चौबीस हजार चार सौ छियाब्दे) रू० मात्र

136(3)A
05-02-18

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति विवरण कोड- 20-2210061010003

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0003-01-01)	146640000	85635000	6240000	91875000	54765000
2	जीवन यापन भत्ता (0003-01-03)	192267000	116236600	7922800	124159400	68107600
3	भकान किराया भत्ता (0003-01-04)	16777000	9149890	624000	9773890	7003110
4	परिवहन भत्ता (0003-01-05)	407000	184600	5000	189600	217400
5	चिकित्सा भत्ता (0003-01-06)	1692000	1047050	93600	1140650	551350
6	अन्य भत्ता (0003-01-07)	1678000	1047350	89096	1136446	541554
	योग 20-2210.06.101.0003.01 वेतन	359461000	213300490	14974496	228274986	131186014
7	मजदूरी (0003-02-01)	5000000	5000000	0	5000000	0
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0003-06-01)	500000	473984	0	473984	26016
9	यात्रा व्यय (0003-11-01)	1000000	495000	10000	505000	495000
10	कार्यालय व्यय (0003-13-01)	600000	465000	30000	495000	105000
11	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव (0003-13-02)	200000	126500	0	126500	73500
12	दूरभाष (0003-13-03)	100000	100000	0	100000	0
13	विद्युत प्रभार (0003-13-04)	500000	500000	0	500000	0
14	विधि प्रभार (0003-13-05)	100000	100000	0	100000	0
15	वर्दा / पोषाक (0003-13-06)	306000	195000	0	195000	111000
16	किराया महसूल एवं कर (0003-14-01)	500000	500000	0	500000	0
17	प्रशिक्षण व्यय (0003-20-03)	2500000	5262	0	5262	2494738
18	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0003-21-01)	100000	100000	0	100000	0
19	दवा भण्डार (0003-21-02)	800000	10000	10000	20000	780000
20	अनुसंधान एवं भ्रमण (0003-27-02)	1000	0	0	0	1000
21	मशीने एवं उपस्कर (0003-52-01)	1000000	0	0	0	1000000
	कुल योग:-	372668000	221371236	15024496	236395732	136272268

136(7)A

05-02-18

सरकार के विशेष सचिव 5/2/18

(9)